न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी (RAS)

मुकदमा नम्बर :— 51/2025

GCMS NO. 2025/60

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशीलाल कुमावत उम्र 43 वर्ष जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) (9636028367)

.................प्रार्थी/आवेदक

— ब ना म —

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

...................अप्रार्थी/अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत — नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार   अभिभाषक   प्रार्थी/आवेदक

—: <u>निर्णय</u> :—   दिनांक :— 30.05.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक **26.05.2025** को इस आशय का पेश किया गया है कि :—

1. यह कि राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 408 के हाल खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर प्रार्थी की एकांकी खातेदारी कृषि भूमि है।
2. यह कि वर्ष 2009 में उक्त भूमि का खाता संख्या 292 खसरा नम्बर 752 किता 1 कुल रकबा 1.54 हेक्टेयर था जिसका आपसी समहति से तहसीलदार महोदय चिड़ावा व नायब तहसीलदार महोदय सूरजगढ़ के यहां से उनके आदेश क्रमांक भू.अ./शिविर/09/18 दिनांक 03.10.2009 से खाता विभाजन करवाया गया था।
3. यह कि आपसी सहमति के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 15.10.2009 से खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर निर्मित हुये है। वर्तमान में खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम से तथा खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

खातेदारी अप्रार्थी छोटा देवी पत्नी हजारीलाल, सोमवीर, शीशराम, मुकेश कुमार पुत्रान हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

4. यह कि खाता विभाजन के पश्चात मूल खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर उत्तर दिशा की भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई है उक्तानुसार ही प्रार्थी मौके पर काश्त करता है। लेकिन सहमति से हुये खाता विभाजन के पश्चात तहसीलदार महोदय चिड़ावा व नायब तहसीलदार महोदय सूरजगढ़ के द्वारा प्रार्थी को उसकी भूमि का सीमाकंन नहीं करवाया गया।

5. यह कि वर्ष 2009 में सहमति से हुये खाता विभाजन के पश्चात पहली बार प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर का दिनांक 27.04.2024 को जब पटवारी हल्का काकोड़ा से सीमाज्ञान करवाया तब पटवारी हल्का ने बताया कि वर्तमान सेग्रीगेशन का नक्शा खाता विभाजन के दौरान कायम किये गये नक्शे से भिन्न है अर्थात खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर के मध्य की सीमा में अन्तर है। यानि की प्रार्थी के खेत का नक्शा (दक्षिणी सीमा) जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.77 हेक्टेयर से अधिक तरमीम कर नक्शा बड़ा कर दिया गया है। इसलिए नक्शा दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि प्रार्थी का अप्रार्थी छोटा देवी पत्नी हजारीलाल, सोमवीर, शीशराम, मुकेश कुमार पुत्रान हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से इन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान्‌जी को प्राप्त है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

9. यह कि अप्रार्थी भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है तथा प्रार्थना पत्र के साथ नवीनतम राजस्व रिकार्ड पेश है।

11. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की दक्षिणी सीमा जो सहमति से हुये खाता विभाजन तथा जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार सही नहीं है, को मौके पर सीमाकंन कर नक्शा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

12. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अनावेदक से नक्शा दुरुस्ती के संबंध में न्यायालय पत्रांक राजस्व/2025/401 दिनांक 26.05.2025 से राजस्व रिकार्ड की जांच रिपोर्ट ली गई।

13. अप्रार्थी/तहसीलदार (भू0अ0) सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) ने अपने पत्रांक भू.अ. /2054/759 दिनांक 28.05.2025 से इस आशय की विस्तृत तथ्यात्मक एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड के इस आशय की जांच रिपोर्ट भिजवाई है कि राजस्व ग्राम काकोड़ा के भूमि खसरा नम्बर 752 का आपसी सहमति से खाता विभाजन दिनांक 03.10.2009 को हुआ था, जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर निर्मित हुए है। जिसकी तरमीम विभाजन के मुताबिक नक्शा लठ्ठा में सही है। सुलभ सन्दर्भ हेतु नकल नक्शा लठ्ठा खसरा नम्बर 752 व 1177/752 संलग्न है। वर्तमान कैडस्ट्रल शीट दिनांक 04.04.2018 में जब लठ्ठा नक्शे के अनुसार तरमीम की गई, वह गलत दर्ज हो गई, जो विभाजन व नक्शा लठ्ठा के अनुसार नहीं है। विभाजन व नक्शा लठ्ठा के अनुसार वर्तमान शीट (सेग्रीगेशन) दुरूस्त किये जाने योग्य है।

14. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व ग्राम **काकोड़ा** पटवार हल्का **काकोड़ा** की नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 हाल खाता संख्या 98, 408 पेश हुई तथा वर्तमान नक्शा कैडस्ट्रल शीट (सेग्रीगेशन), नकल सहमति खाता विभाजन (सम्पूर्ण प्रस्ताव) क्रमांक भू.अ./शिविर/09/18 दिनांक 03.10. 2009 कार्यालय तहसीलदार चिड़ावा एवं नायब तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) पेश हुये।

15. आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 408 के हाल खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर प्रार्थी की एकांकी खातेदारी कृषि भूमि है। वर्ष 2009 में उक्त भूमि का खाता संख्या 292 खसरा नम्बर 752 किता 1 कुल रकबा 1.54 हेक्टेयर था जिसका आपसी समहति से तहसीलदार महोदय चिड़ावा व नायब तहसीलदार महोदय सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज0) के यहां से उनके आदेश क्रमांक भू.अ./शिविर/09/18 दिनांक 03.10.2009 से खाता विभाजन करवाया गया था। खाता विभाजन नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 15.10.2009 से खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर निर्मित हुये है। वर्तमान में खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम से तथा खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी छोटा देवी पत्नी हजारीलाल, सोमवीर, शीशराम, मुकेश कुमार पुत्रान हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खाता विभाजन के

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

पश्चात मूल खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर उत्तर दिशा की भूमि प्रार्थी के
हिस्से में आई है। लेकिन सहमति से हुये खाता विभाजन के पश्चात तहसीलदार
महोदय चिड़ावा व नायब तहसीलदार महोदय सूरजगढ़ के द्वारा प्रार्थी को उसकी
भूमि का सीमाकंन नहीं करवाया गया। वर्ष 2009 में सहमति से हुये खाता विभाजन
के पश्चात पहली बार प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर
का दिनांक 27.04.2024 को जब पटवारी हल्का काकोड़ा से सीमाज्ञान करवाया तब
पटवारी हल्का ने बताया कि वर्तमान सेग्रीगेशन का नक्शा खाता विभाजन के दौरान
कायम किये गये नक्शे से भिन्न है अर्थात खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर
व खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर के मध्य की सीमा में अन्तर है।
यानि की प्रार्थी के खेत का नक्शा (दक्षिणी सीमा) जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.77
हेक्टेयर से अधिक तरमीम कर नक्शा बड़ा कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने
बहस के अन्त में कथन किया कि राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला
झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर की दक्षिणी सीमा
जो सहमति से हुये खाता विभाजन तथा जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार सही
नहीं है, को मौके पर सीमाकंन कर नक्शा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की
कृपा करें।

16. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया
गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.)
सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/759
दिनांक 28.05.2025 में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम काकोड़ा के भूमि खसरा
नम्बर 752 का आपसी सहमति से खाता विभाजन दिनांक 03.10.2009 को हुआ
था, जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर व खसरा नम्बर
1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर निर्मित हुए है। जिसकी तरमीम विभाजन के
मुताबिक नक्शा लठ्ठा में सही है। वर्तमान कैडस्ट्रल शीट दिनांक 04.04.2018 में
जब लठ्ठा नक्शे के अनुसार तरमीम की गई, वह गलत दर्ज हो गई, जो विभाजन
व नक्शा लठ्ठा के अनुसार नहीं है। विभाजन व नक्शा लठ्ठा के अनुसार वर्तमान
शीट (सेग्रीगेशन) दुरूस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच
रिपोर्ट के संलग्न नकल नक्शा किश्तवार मौजा काकोड़ा तहसील चिड़ावा सन्
1977–1978 (नक्शा नठ्ठा) व नकल नक्शा भू प्रबन्ध विभाग, सीकर सर्वे सन्
1977–1978 संवत 2036 कैडस्ट्रल/सेग्रीगेशन शीट ग्राम काकोड़ा तहसील
सूरजगढ़ का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर
व खसरा नम्बर 1177/752 के मध्य की सीमा जो खाता विभाजन निर्णय दिनांक
03.10.2009 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 15.10.2009 से नक्शा
लठ्ठा में कायम की गई थी, उक्त सीमा का पश्चिमी सिरा, खसरा नम्बर 750 व
751 के मध्य की सीमा के पूर्वी सिरा के समानान्तर कायम किया गया था, जिसे
वर्तमान कैडस्ट्रल/सेग्रीगेशन शीट में खसरा नम्बर 1177/752 की ओर खिसका
दिया गया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

—: आदेश :—

17.अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम **काकोड़ा** तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर के मध्य की सीमा के पश्चिमी सिरे को वर्तमान कैडस्ट्रल/सेग्रीगेशन शीट में खाता विभाजन निर्णय दिनांक 03.10.2009 के मुताबिक नक्शा लठ्ठा **(प्रदर्श–"अ")** के अनुसार खसरा नम्बर 750 व 751 के मध्य की सीमा के पूर्वी सिरे के समानान्तर कायम कर वर्तमान कैडस्ट्रल/सेग्रीगेशन शीट को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व नक्शा दुरूस्ती हेतु निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार (भू.अ.) सूरजगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। तहसीलदार सूरजगढ़ मुताबिक **प्रदर्श–'अ'** के नक्शा दुरूस्ती के पश्चात भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर का मौके पर सीमांकन करवायेंगे तथा भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.77 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1177/752 रकबा 0.77 हेक्टेयर के मध्य की सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करेगें।

18.निर्णय आज दिनांक **30.05.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़